अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांकः 195

दिनांकः 19-8-2011

निदेशक, जन स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

विषय : – माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं. 47–48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों **(General Stores)** का सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/अतिरिक्त काउन्टर स्थापना/नवस्थापना/संचालन करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि वर्ष 2011–12 में मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 47–48 की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन (RMSC) का गठन किया जाकर दिनांक 02.10.2011 से राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है।

बजट घोषणा की अनुपालना हेतु विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयों के निःशुल्क वितरण हेतु संलग्नानुसार पूर्व से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों के सुदृढीकरण यथा रेक्स, कुर्सी, स्टूल, रेफ्रिजरेटर का क्रय एवं लघु मरम्मत एवं रंगाई–पुताई आदि कार्य, पूर्व से संचालित औषधि वितरण केन्द्रों पर अतिरिक्त खिडकी या काउन्टर स्थाना तथा नये औषधि वितरण केन्द्रों की स्थापना की जानी है। इसके साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों (General Stores) का सुदृढीकरण यथा लघु सिविल कार्य, रंगाई–पुताई, विद्युत संबन्धित कार्य, आवश्यकतानुसार रैक्स, ट्रॉली, व फर्नीचर क्रय आदि द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग द्वारा संचालित औषधि वितरण केन्द्रों का भी निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जाना है।

उपर्युक्तानुसार चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों के सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/स्थापना/संचालन हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा संस्थानवार अतिरिक्त बजट प्रावधान करवाने के लिए आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन है। **उक्त प्रस्तावित अतिरिक्त आंवटन बजट शीर्षवार सैद्धान्तिक रूप से वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त अतिरिक्त बजट प्रावधान मुख्य बजट शीर्ष 2210 एवं संबंधित विभिन्न उप बजट शीर्षो 03 से संबंधित है एवं इसके प्रस्ताव भी आपके द्वारा एकल पत्रावली पर वित्त विभाग को प्रेषित किये गये है। अतिरक्त बजट प्रावधानों का वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त होते ही बजट आवंटन की कार्यवाही पृथक से की जानी है। जैसा कि आपको विदित है कि आरएमएससी का दायित्व औषधियों/सूचर्स/सर्जिकल्स का क्रय करके जिला औषधि भण्डार गृहों में भण्डारण करने तक ही सीमित है। जिला औषधि भण्डार गृहों से सम्बन्धित जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों द्वारा निःशुल्क वितरण की व्यवस्था आपके द्वारा ही सम्बन्धित सीएमएचओ, पीएमओ एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से करवाई जानी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों (General Stores) का सुदृढीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढीकरण/अतिरिक्त काउन्टर स्थापना/नव स्थापना/संचालन करवाना सुनिश्चित कराएँ।**

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कराएँ।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान (समस्त)।
3. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

निदेशक जन स्वास्थ्य के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानो में औषधियों के चिकित्सा संस्थान स्तर पर भण्डारण (General Store) व औषधि वितरण व्यवस्था के लिए बजट आंकलन

1. **चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डार (General Store) में रेक्स, पेलेट्स, ट्रॅाली आदि की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :–**

निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एफडब्लयू/ एमएसयू :–

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) संख्या – 1517, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Urban PHC) संख्या – 37 @ रू0 25,000 = **राशि रू0 388.50 लाख**
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या – 376, शहरी चिकित्सालय संख्या – 198 @ रू0 50,000 = **राशि रू0 287.00 लाख**
- सेटेलाइट अस्पताल संख्या – 6, उप–जिला अस्पताल संख्या – 12 एवं जिला अस्पताल संख्या – 34 @ रू0 2.00 लाख = **राशि रू0 104.00 लाख**

कुल राशि रू0 = 779.50 लाख

2. **विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किये जाने वाले औषधि वितरण केन्द्रों (DDCs) के लिये निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :–**

(i) राजकीय अस्पतालों में **पूर्व से संचालित दवा वितरण केन्द्रों (DDCs) के सुदृढ़ीकरण हेतु** निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी:–

- **उप–स्वास्थ्य केन्द्र एवं उच्चीकृत उप–स्वास्थ्य केन्द्र** पर दवा वितरण केन्द्र **(DDC)** कुल 11,500 के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रति दवा वितरण केन्द्र राशि रूपये 2500 की आवश्यकता होगी जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	DDC की संख्या	सामग्री/उपकरण	लागत	कुल राशि लाख रू0 में
1	SC – 11487 एवं AID Post - 13	रेक्स (2'x3') – 1 @ Rs. 1000	1000	115.00
2		आवश्यकतानुसार मरम्मत, रगांई–पुताई आदि	500	57.50
3		विविध व्यय	1000	115.00
योग	**11500**		**2500**	**287.50**

- **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC)** – 1517, **शहरी चिकित्सालयों (City Dispensary)** – 198, **मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र (Mother & Child Welfare Centre)** – 118, **शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (Urban PHC)** – 37, सेटेलाइट (6) एंव उप–जिला अस्पताल (12) – 46 एवं जिला अस्पताल (34) – 119 पर दवा वितरण केन्द्र **(DDC) कुल** 2035 के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रति दवा वितरण केन्द्र राशि रू0 30,000/– की आवश्यकता होगी जिसकी विगत निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	DDC की संख्या	सामग्री/उपकरण प्रति DDC	लागत रू0	कुल राशि लाख रू0 में
1	2035	रेक्स (बड़ी) * – 3 @ Rs. 3000	9000	183.15
2		कुर्सी – 2 @ Rs. 750	1500	30.53
3		स्टूल – 1	300	6.11
4		रेफ्रिजरेटर प्रति चिकित्सा संस्थान (165 लीO) – 1 @ Rs. 8700x1972	8700	171.56

5		दवा वितरण काउन्टर व खिड़की	5500	111.93
6		विविध व्यय	5000	101.75
योग	2035		**30000**	**605.03**

इस तरह उक्तानुसार चिकित्सा संस्थानों में पूर्व से संचालित दवा वितरण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रू0 892.53 लाख की आवश्यकता होगी।

(ii) इसी तरह राजकीय अस्पतालों में **पूर्व से संचालित बीपीएल दवा वितरण केन्द्रों (BPL Counter)** – 446 पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खिड़की स्थापित करने के लिये प्रत्येक को राशि रू0 1000 प्रति दवा वितरण केन्द्र के अनुसार **कुल राशि रू0 4.46 लाख** की आवश्यकता होगी।

(iii) **राजकीय अस्पतालों में नये दवा वितरण केन्द्र (DDC)** स्थापित करने के लिये निम्नानुसार बजट की आवश्यकता होगी :–

सेटेलाइट (6) एंव उप–जिला अस्पताल (12) पर नये दवा वितरण केन्द्र :–

क्र0सं0	DDC की संख्या	सामग्री/उपकरण	लागत रू0	कुल राशि लाख रू0 में
1	46	रेक्स (बड़ी) * – 3 @ Rs. 3000	9000	4.14
2		कुर्सी – 2 @ Rs. 750	1500	0.69
3		स्टूल – 1 @ Rs. 300	300	0.14
4		दवा वितरण काउन्टर व खिड़की आदि	5500	2.53
5		विविध व्यय	5000	2.30
6		एल्युमीनियम व ग्लास वर्क आदि	8700	4.00
	योग		30000	13.80

नोट :– **सेटेलाइट व उप–जिला अस्पतालों में नये दवा वितरण केन्द्र स्थापित करने के लिये उपलब्ध स्थान/कमरे में ही माईनर सिविल वर्क, मेन्टीनेन्स व अपग्रेडेशन कार्य करवाकर ही संचालित किया जाना है।**

(iv) **नये आरक्षित औषधि वितरण केंन्द्र (DDC) सं0 – 100 के लिए वर्ष 2011–12 की शेष अवधि के लिए बजट आवश्यकता :–**

- सिविल कार्य @ Rs. 2.25 Lacs = **राशि रू0 225.00 लाख व कार्मिक मानदेय** @ Rs. 25,000 **प्रतिमाह x 6 = राशि रू0 150.00 लाख**

(V) **सहकारिता के माध्यम से औषधि वितरण केन्द्रों (DDC) के संचालन के लिये वर्ष 2011–12 की शेष अवधि के लिए बजट आवश्यकता** – वर्तमान में राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 652 औषधि वितरण केंन्द्र CONFED के माध्यम से संचालित किये जा रहे है। इन औषधि वितरण केंन्द्रों को ही निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में उपयोग में लिया जाना है। **जिनकी विगत निम्न प्रकार है:–**

1. सहकारिता विभाग के वे औषधि वितरण केंन्द्र जिनका उपयोग केवल निःशुल्क औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है – सं0–145 @ **राशि रू0 25000 प्रतिमाह x 6 = राशि रू0 217.50 लाख**
2. सहकारिता विभाग के वे औषधि वितरण केंन्द्र जिनका उपयोग संयुक्त (भुगतान एवं निःशुल्क औषधियाँ) औषधि वितरण केन्द्रों के रूप में किया जाना है – सं0–332 @ **राशि रू0 11000 प्रतिमाह x 6 = राशि रू0 219.12 लाख**